न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

सप्लाई विविध प्रकरण संख्या : 49/2025

प्रार्थी **बनाम** **अप्रार्थी**

राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर

सुरेश भाटी जाति घांची निवासी मिल्क मैन कॉलोनी, जोधपुर। फर्म:धाकड शुद्ध शाकाहारी रेस्टारेंट शास्त्रीनगर थाने के पास, मिल्क मैन कॉलोनी, पाल रोड जोधपुर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थितिः–
1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार श्री राजकरण बारहठ प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता नरेश भाटी उपस्थित।

निर्णय

दिनांक **05.08.2025**

प्रार्थी राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय नियन्त्रण) आदेश 2000 के अन्तर्गत अप्रार्थी सुरेश भाटी जाति घांची निवासी मिल्क मैन कॉलोनी, जोधपुर, फर्म धाकड शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट शास्त्रीनगर थाने के पास, मिल्क मैन कॉलोनी पाल रोड,जोधपुर के विरूद्ध यह प्रकरण जब्तसुदा 03 घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात करने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 30.12.2024 को जिला प्रवर्तन अधिकारी मय निरीक्षक टीम कार्यालय जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर द्वारा शास्त्रीनगर थाने के पास, मिल्क मैन कॉलोनी पाल रोड, जोधपुर स्थित प्रतिष्ठान धाकड शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट की आकस्मिक जांच करने पर उपस्थित व्यक्ति ने अपना नाम सुरेश भाटी जाति घांची बताया एवं प्रतिष्ठान पर मौके पर 03 घरेलु गैस सिलेण्डर (2 भारतगैस, 1 इण्डेन) भण्डारित कर व्यवसायिक गतिविधियों हेतु उपयोग किया जाना पाया गया। मौके पर अवैध भण्डारित कर व्यवसायिक उपयोग करते पाए गये 03 घरेलु गैस सिलेण्डरों का विवरण इस प्रकार हैः–

क्र. स.	गैस कम्पनी का नाम	एस.आर.नम्बर	सिलेण्डर का वजन	कुल वजन	गैस का वजन (किलो में)
1.	आई.ओ.सी.एल	84377	15.3 कि.ग्रा.	16.2 कि.ग्रा.	0.9 कि.ग्रा.
2.	बी.पी.सी.एल	0779342	15.6 कि.ग्रा.	29.5 कि.ग्रा.	13.9 कि.ग्रा.
3.	वी.पी.सी.एल	378756	15.6 कि.ग्रा.	25.7 कि.ग्रा.	10.1 कि.ग्रा.

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

उक्त 03 घरेलु गैस सिलेण्डरों को जब्त सरकार किया जाकर श्री शमसुदीन पुत्र श्री फिरोज खां प्रतिनिधी पालरोड गैस सर्विस जोधपुर को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त 03 घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा था जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी द्वारा धारा 6(ए) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्त उक्त 03 घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात् किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण में प्रार्थी विभागीय पेरोकार की बहस सुनी गयी। प्रार्थी विभागीय पेरोकार श्री राजकरण बारहठ प्रवर्तन अधिकारी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रतिष्ठान पर वक्त जांच कुल 03 घरेलु गैस सिलेण्डरों को अवैध रूप से भण्डारित कर खाने बनाने संबधी व्यवसायिक गतिविधियों हेतु उपयोग में लिया जाना पाया गया है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा 03 घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व व्यावसायिक उपयोग में लिये जाने से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है जिसके कारण जब्त उक्त 03 घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी को प्रकरण में इस कार्यालय से जारी नोटिस क्रमांक 157 दिनांक 30.04.2025 बाद तामिल प्राप्त हुआ। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता नरेश भाटी द्वारा वकालतनामा पेश कर लिखित जवाब पेश करते हुए प्रकरण में बहस कर जब्तसूदा 03 घरेलु सिलेण्डर को रिलीज किये जाने का निवेदन किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि अप्रार्थी का रहवासीय मकान फर्म के पास में ही स्थित है, जब्तसूदा सिलेण्डर घर ले जाने हेतु अप्रार्थी द्वारा फर्म पर रखे गये थे, फर्म पर व्यवसायिक उपयोग हेतु व्यवसायिक सिलेण्डर उपयोग किए जा रहे है। फर्म के नाम जारी व्यवसायिक सिलेण्डर कनैक्शन दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। अप्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया जाना बताते हुए जब्तसूदा तीन घरेलु सिलेण्डर रिलीज कर प्रकरण को निस्तारित किए जाने का निवेदन किया गया।

"निष्कर्ष"

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज.)

हमने विभागीय पैरोकार तथा अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जाहिर तथ्यों पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एंव मौका फर्द का अवलोकन किया । जिस अनुसार वक्त जांच प्रतिष्ठान पर 03 घरेलु गैस सिलेण्डर (01इण्डेन 02 भारत) अवैध रूप से भण्डारित किए पाए गए। मौका फर्द अनुसार जब्तसुदा सिलेण्डरों में गैस की मात्रा निर्धारित माप से कम पायी गई जब्तसूदा सिलेण्डर ना तो पूर्णतया खाली थे और ना ही पूर्ण भरे हुए, जिससे प्रथम दृष्ट्या स्पष्ट होता है कि उक्त घरेलु गैस सिलेण्डरों का प्रतिष्ठान पर खाना बनाने हेतु व्यवसायिक उपयोग किया गया है, जो कि प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय प्रथम मय निरीक्षक टीम द्वारा हस्ताक्षरित जांच रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेखित है। फर्म के नाम जारी कनैक्शन दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जो कि कार्यवाही

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

दिनांक के पश्चात प्राप्त किए गये है एंव व्यवसायिक गैस कनैक्शन होने के बावजूद अप्रार्थी द्वारा फर्म पर घरेलु गैस सिलेण्डर अवैध रूप से भण्डारित किए गए। उक्तानुसार अप्रार्थी द्वारा प्रतिष्ठान पर घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्यों में उपयोग किया जाना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तसुदा 03 घरेलु गैस सिलेण्डर (1इण्डेन 02 भारत) को राज्यसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि जब्तसुदा 03 घरेलु गैस सिलेण्डर (01इण्डेन 02 भारत) को राज्यसात कर नियमानुसार निस्तारण किया जाकर राशि राज्य कोष में जमा कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित [illegible])
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज.)